



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 315 राँची, बुधवार,

31 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 मई, 2023

संख्या-15/विविध-01-04/2023 का.-3087--झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2001 के नियम-19 में अंकित प्रावधान के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक-09.09.2010 एवं अधिसूचना संख्या-9519 दिनांक-22.09.2014 के द्वारा सरकारी सेवकों के चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी संबंधित प्राधिकार को उपलब्ध कराने के निमित्त कतिपय दिशा-निर्देश संसूचित किये गये हैं ।

विभागीय अधिसूचना संख्या-2706 दिनांक-04.06.2020 एवं अधिसूचना संख्या-2015 दिनांक-30.03.2021 के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से सम्पत्ति विवरणी ऑन लाईन अपलोड किये जाने संबंधी निर्णय संसूचित है ।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक-09.09.2010 की कंडिका 1(क)(ii) एवं 1(क)(iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:

- I. कंडिका 1(क)(ii)-राज्य सेवा एवं राज्य स्तरीय संवर्ग के सरकारी सेवक प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 28 फरवरी तक (गत वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के आधार पर) ऑनलाईन HRMS Portal के माध्यम से संवर्ग नियंत्रण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को ।
- II. कंडिका 1(क)(iii)- राज्य सेवा एवं राज्य स्तरीय संवर्ग को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 28 फरवरी तक (गत वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के आधार पर) ऑनलाईन HRMS Portal के माध्यम से संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को ।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक-09.09.2010 एवं अधिसूचना संख्या-9519 दिनांक-22.09.2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी ।

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
